भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अंतारांकित प्रश्न संख्या. 352

(जिसका उत्तर मंगलवार, 06 फरवरी, 2024 को दिया गया)

सी-पेस की स्थिति

352 श्री कार्तिकेय शर्मा :

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में त्वरित कारपोरेट निकास प्रसंस्करण केंद्र (सी-पेस) के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है और देश में कारपोरेट परिदृश्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) हरियाणा राज्य में कितनी कंपनियों ने इस पहल के अंतर्गत लाभ उठाया है; और

(ग) उक्त पहल की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (ग): कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 248(2) के उपबंधों के अधीन स्वैच्छिक निकास के लिए फ़ाइल किए गए आवेदनों को सुकर बनाने और उनमें तेजी लाने के लिए त्वरित कारपोरेट निकास प्रसंस्करण केंद्र (सी-पेस) की स्थापना 01.05.2023 से की गई है। सी-पेस के तहत स्वैच्छिक समापन के लिए आवेदनों को एक समान और कुशल परिणाम के लिए केंद्रीकृत तरीके से संसाधित किया जा रहा है। सी-पेस की स्थापना के बाद से, अधिनियम की धारा 248 (2) के तहत 10692 कंपनियों का नाम स्ट्रक-ऑफ कर दिया गया है, जिसमें हरियाणा राज्य की 330 कंपनियां शामिल हैं।

कंपनियों के लिए आसान निकास प्रक्रिया सुनिश्चित करने और ईज़-ऑफ डुईंग बिजनेस में सुधार करने के लिए, वित्त मंत्री के बजट भाषण (2022-23) के पैरा 77 में परिकल्पना की गई थी कि सी-पेस के माध्यम से कंपनियों को बंद करने के लिए आवेदन को संसाधित करने में लगने वाला समय 2 वर्ष से घटाकर 6 महीने से कम कर दिया जाएगा। चालू वर्ष के दौरान स्वैच्छिक निकास के लिए सी-पेस के तहत लगने वाला समय घटकर लगभग 110 दिन हो गया है।

*****